न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 106/2018

अनवान :

1. कृष्णचन्द्र पुत्र बिरसालसिंह जाति जाट निवासी लाखनवास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. बिरसालसिंह पुत्र मुंशीराम जाति जाट निवासी लाखनवास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. सुनील कुमार पुत्र बिरसालसिंह जाति जाट निवासी लाखनवास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. आईसीआईसीआई बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक शाखा भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : **वादी**

निर्णय **दिनांक :** 14.6.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 272/273 के मुरबा नं0 89 के किला नं0 16, 17, 22 प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला नं0 23/1 की 0.063 है0 किला नं0 23/2 की 0.164 है0 किला नं0 24 व 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 93 के किला नं0 2 की 0.253 है0 किला नं0 3/1 की 0.190 है0 किला नं0 3/2 की 0.038 है0 किला नं0 4 की 0.164 है0, किला नं0 5 की 0.152 है0 किला नं0 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 प्रत्येक किला की 0.253 है0, मुरबा नं0 115 के किला नं0 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253 है0 किला नं0 24 की 0.013 है0 कुल 7.8680 है0 जिसमें से बारानी 7.8420 है0 रास्ता 0.026 है0 खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो कि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पति है और प्रतिवादी सं0 1 को विरासतन में अपने पिता से प्राप्त हुई है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के साथ साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 का भी जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 3 व 4 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी कृष्णचन्द्र के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 272/273 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1,

प्रमाणित प्रतिलिपि खतौनी जमाबन्दी चक 11 जेजीडब्ल्यु सम्वत् 2055 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 10 जेएसएल खाता सं0 124/124 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 11 जेजीडब्ल्यु के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो प्रमाणित प्रतिलिपि खतौनी जमाबन्दी चक 11 जेजीडब्ल्यु सम्वत् 2055 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है उसमें वाद भूमि वादी के दादा मुन्शी वल्द सांवत के नाम दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में बिरसाल सिंह के वारिसान में पत्नी कमला, दो पुत्र कृष्णचन्द्र व सुनील कुमार होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 272/273 के मुरबा नं0 89 के किला नं0 16, 17, 22, 23/1, 23/2, 24 व 25 मु0नं0 93 के किला नं0 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 मुरबा नं0 115 के किला नं0 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 23, 24 की कुल 7.8680 है0 जिसमें से बारानी 7.8420 है0 रास्ता 0.026 है0 खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज है से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनो बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। यदि वाद भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वाद भूमि से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 106/2018

अनवान :

1. कृष्णचन्द्र पुत्र बिरसालसिंह जाति जाट निवासी लाखनवास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. बिरसालसिंह पुत्र मुंशीराम जाति जाट निवासी लाखनवास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. सुनील कुमार पुत्र बिरसालसिंह जाति जाट निवासी लाखनवास तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. आईसीआईसीआई बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक शाखा भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 11 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 272/273 के मुरबा नं0 89 के किला नं0 16, 17, 22, 23/1, 23/2, 24 व 25 मु0नं0 93 के किला नं0 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23 मुरबा नं0 115 के किला नं0 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 23, 24 की कुल 7.8680 है0 जिसमें से बारानी 7.8420 है0 रास्ता 0.026 है0 खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज है से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 दोनो बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। यदि वाद भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वाद भूमि से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.6.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़